संख्या-125/2017/1968/26-3-2017-10(5)/2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 14 अगस्त, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद-गोण्डा में संचालित 06 राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावासों के भवन मरम्मत कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र सं0-870-71/स0क0/विकास/छात्रावास मरम्मत/2017-18, दिनांक-18.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय छात्रावासांे/आश्रम पद्धति विद्यालयों की अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख (रूपये पाॅच करोड़ मात्र) के सापेक्ष 06 छात्रावासों के भवन मरम्मत कार्य हेतु प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में धनराशि **रूपया-238.35 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तिस लाख पैतीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रस्तावित लागत	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बेलसार	97.06	48.53
2	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बभनान (नवीन)	76.96	38.48
3	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बभनान (नवीन)	81.41	40.705
4	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, जेल रोड (नवीन)	73.82	36.91
5	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, जेल रोड, (नवीन)	72.84	36.42
6	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, सरयू प्रसाद कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, गोण्डा	74.61	37.305
कुल योग-		**476.70**	**238.35**

(रूपये दो करोड़ अड़तिस लाख पैतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) कराने के उपरान्त ही आहरित कर प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(4) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्रश्नगत छात्रावासों के भवनों का फोटोग्राफ्स प्राप्त कर लिया जाय, जो सक्षम अधिकारी द्वारा तिथि सहित प्रमाणित हो।

(7) उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित निर्देशो/प्रतिबन्धों का अनुपलन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- ''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09 -राजकीय छात्रावासों/ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-125/2017/1968(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- जिलाधिकारी, गोण्डा।

8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।

10- निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

11-जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा।

12-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।